RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : रविवार 13 जुलाई 2025 | वर्ष 07 | अंक 85 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी ®

खबरें बे-रोकटोक

मुंबई: 2.5 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं बरामद;

Page - 2

अजित के सामने बड़ी चुनौती!

शिंदे ने दिया मेयर का नया फॉमूर्ला, ज्यादा सीटें...

मुंबई: महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। शिवसेना (शिंदे गुट) नेता प्रताप सरनाईक ने महागठबंधन में मेयर पद के लिए एक नया फॉमूर्ला पेश किया है, जिसमें सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी को मेयर पद मिलेगा। यह फॉमूर्ला मुंबई महानगरपालिका चुनावों को केंद्र में रखते हुए चर्चा का विषय बना हुआ है। अजित पवार गुट के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है।

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा जल्द होने की संभावना है। दिसंबर तक कुल 29 नगर निगमों के चुनाव होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए राजनीतिक गलियारों में गतिविधियां बढ़ गई हैं। इस चुनाव में, मुंबई महानगरपालिका चुनाव इस समय चर्चा के केंद्र में है। नवनिर्वाचित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने मुंबई महानगरपालिका के महापौर पद को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। रवींद्र चव्हाण के बयान के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं। चव्हाण के इसी बयान पर अब शिवसेना (शिंदे गुट) पक्ष के नेता प्रताप सरनाईक ने महागठबंधन में महापौर पद के लिए एक नया फॉमूर्ला सामने रखा है।

जिसकी ज्यादा सीटें, उसे मिले महापौर का पद

प्रताप सरनाईक ने नगर निगम चुनाव और महापौर पद पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह एक महागठबंधन सरकार है। जहां जिस पार्टी का महापौर था, उसी पार्टी को मिलना चाहिए। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलें, महापौर का पद उसे मिलना चाहिए। यही महागठबंधन का फॉमूर्ला है। प्रताप सरनाईक ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप-मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में यह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।

महाराष्ट्र : विश्व धरोहर का दर्जा हल्के में न लें....

इसे छीना भी जा सकता हैं- राज ठाकरे

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन ऐतिहासिक संरचनाओं पर सभी अनधिकृत निमार्णों को हटा दिया जाना चाहिए। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि सरकार को विश्व धरोहर का दर्जा हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया गया तो इसे छीना जा सकता है।

ये किले विश्व धरोहर में हुए शामिल

मराठा शासकों की किलेबंदी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करने वाले 'मराठा सैन्य परिदृश्य' को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह निर्णय पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति (डब्ल्यूएचसी) के 47वें सत्र के दौरान लिया गया था। 'मराठा सैन्य परिदृश्य' में महाराष्ट्र के साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजय दुर्ग और सिंधुदुर्ग के किले और तमिलनाडु में जिंजी किला शामिल हैं।

किलों से अनाधिकृत निर्माण गिराएं

मनसे प्रमुख ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, सरकार को बिना किसी अतिक्रमणकारियों के धर्म या जाति की परवाह किए बिना इन किलों पर सभी अनधिकृत निमार्णों को तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए। जो लोग इस अवसर पर महाराष्ट्र की उपलब्धियों के बारे में बोलेंगे, उन्हें पता चलेगा कि शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य का विचार कितनी दूर तक पहुंच गया था और यह भी पता चलेगा कि दो भाषाओं और संस्कृतियों के बीच का पुल कितना पुराना और मजबूत है।

मुंबई : सेक्स रैकेट का भंडाफोड़!

नाबालिग लड़कियों समेत पांच महिलाओं को भी छुड़वाया

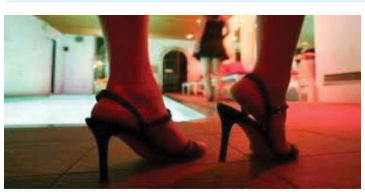

मुंबई: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से नाबालिग लड़कियों समेत पांच महिलाओं को भी छुड़वाया है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

आरोपी ग्राहकों से प्रति घंटे 4,000 रुपये तक वसूलते थे

इस अवैध धंधे में शामिल आरोपी ग्राहकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अट्रैक्ट करते थे। ग्राहकों को नेरुल, वाशी और तुर्भे जैसे इलाकों में लॉज बुक करने के लिए कहा जाता था और आरोपी महिलाओं और लड़कियों को वहां भेजते थे। आरोपी ग्राहकों से प्रति घंटे 4,000 रुपये तक वसूलते थे। सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। तुर्भे के एक होटल में आठ जुलाई को पुलिस ने एक फर्जी ग्राहक भेजा, जब आरोपियों ने महिला को ग्राहक से मिलने के लिए होटल भेजा तो नवी मुंबई की एंटी 'मन ट्रैफिकिंग यूनिट की एक टीम ने उस जगह पर छापा मार कर, महिला को आरोपियों के गिरफ्त से आजाद कराया। जांच के बाद नेरुल इलाके के एक फ्लैट से चार और महिलाओं और लड़कियों को छुड़वाया गया और रैकेट के सरगना, एक बिचौलिए और एक ऑटोरिक्शा चालक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अभी तीन और आरोपियों की तलाश कर रही है।

मुंबई एयरपोर्ट पर वन्यजीव तस्करी का भंडाफोड!

दुर्लभ प्रजातियों के खरगोश-तोते और कछुए जब्त

मुंबई : मुंबई कस्टम्स जोन-III के एयरपोर्ट कमिश्नरेट अधिकारियों ने 10 और 11 जुलाई की दरम्यानी रात छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो अलग-अलग मामलों में दुर्लभ और संरक्षित वन्य जीवों की तस्करी का पदार्फाश किया है. अधिकारियों ने इन मामलों में दो विदेशी यात्रियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से जीवित और मृत जानवरों को बरामद किया है. यह कार्रवाई कस्टम अधिनियम, 1962 तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत की गई.

आरोपी ने तस्करी और बरामदगी का भी किया स्वीकार

सभी वन्यजीव प्रजातियों की तस्वीरें ली गईं और उन्हें क्षेत्रीय उप निदेशक,

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, पश्चिमी क्षेत्र को भेजा गया. अभियुक्त सुहेल अहमद ने अपने स्वैच्छिक बयान में पकड़े गए जानवरों की जानकारी दी, साथ ही उनके कब्जे, संचालन, छुपाने, तस्करी और बरामदगी का भी स्वीकार किया. पहले मामले में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर, बैंकॉक से मुंबई आए एक यात्री को रोका गया. उसके क्रीम रंग के ट्रॉली बैग की जांच के दौरान उसमें से निम्न वन्यजीव बरामद किए गए:

यात्री को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. तो वहीं दूसरे मामले में एक अन्य यात्री, जो बैंकॉक से मुंबई आया था, को रोककर उसके हरे रंग के ट्रॉली बैग की जांच की गई. उसमें से निम्न वन्य जीव पाए गए: इस यात्री को भी गिरफ्तार किया गया और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई.

मुंबई कस्टम्स जोन-III ने लगातार सतर्कता और सटीक खुफिया जानकारी के चलते वन्यजीव तस्करी की इन कोशिशों को विफल किया. विभाग की यह कार्रवाई दुर्लभ प्रजातियों के अवैध व्यापार के खिलाफ एक सख्त संदेश है.

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

चौदह पिंजरे, 14 होटल

आस्तीन चढ़ा कर सरकारों का खर्च मिट्टी होता है, फिर भी गुरूर यह कि काम इसी तरह होता है। एक साथ चौदह पिंजरे, भीतर इतने ही सरकारी होटल और तोते उड़ गए अपनी दिशा में। दिशाहीन कौन, होटल, पर्यटन निगम के कर्मचारी, पर्यटक या राज्य के संसाधन। फेहरिस्त पर नजर दौड़ाएं तो ये चौदह इकाइयां असफल हो ही नहीं सकती थीं, लेकिन सरकारी कार्य संस्कृति के दूध से कितनी मक्खियां निकालेंगे। आदेश अदालत को देने पड़े थे, क्योंकि सार्वजनिक धन से मकबरे नहीं सजाए जा सकते। अगर इमारतों के बीच सरकारी धन से बने मकबरों पर गौर करेंगे, तो जिंदा ताबूत में सारे सबूत रखने पड़ेंगे। इससे पहले एचआरटीसी के निकम्मे रूटों की नुमाइश हुई, तो अचानक फरमान आया कि निजी क्षेत्र को चुगने को कहा जाए। यहां आम तो सबने चुरा लिए, अब गुठलियां बेची जा रही हैं। खैर एक हकीकत सामने आ रही है कि सरकार सारे पापड़ नहीं बेल सकती और न ही सारे काम सरकारों को करने चाहिएं। चौदह होटल अपने निर्वाण के लिए निजी क्षेत्र का प्रश्रय चाहते हैं। सरकार के फलक पर निजी क्षेत्र का आरोहण बेशक स्वागत योग्य है और यह भी साबित हो रहा है कि आइंदा राज्य की तस्वीर में इसका ही नाम होगा। सवाल अब यह है कि क्या सरकार को अब नए होटलों का निर्माण नहीं करना चाहिए, लेकिन हकीकत यह भी है कि बड़ी परियोजनाएं और बड़ी शेखियां जारी रहेंगी। अंततः हम पर्यटन की तिजोरी से अगर एचपीटीडीसी को घाटे का खेत बना देते हैं, तो जीत क्या रहे और भविष्य के लिए क्या कर रहे। जाहिर है सरकारी क्षेत्र में व्यावसायिक दक्षता की कमी है या ग्राहक को संतुष्ट करने की अभिलाषा ही नहीं बची। एचआरटीसी हमें सही से मंजिल तक नहीं पहुंचा पा रही, मिल्क फेडरेशन हमारी जरूरतों का दूध उपलब्ध नहीं करवा पा रहा और एचपीटीडीसी पर्यटक को लुभा नहीं पा रहा, तो कहीं हमारे सियासी फैसलों का कूड़ाघर हमारे जेहन में भर रहा है। चौदह होटल इकाइयों को निजी क्षेत्र में देने का फैसला दरअसल विनिवेश की ओर इशारा भी कर रहा है।

अब वक्त आ गया है कि हिमाचल अपनी असमर्थ आर्थिकी के कांटे बाहर निकाल दे। कई स्कूल, कालेज और अस्पतालों का प्रबंधन निजी क्षेत्र से साझा कर लेना चाहिए या मान लेना चाहिए कि बिना छात्रों के शिक्षण संस्थान और बिना बेहतर इलाज के चिकित्सा संस्थान पालने से सिर्फ छवि और शक्ति का क्षरण ही होगा। इतना ही नहीं हिमाचल के विभिन्न विभागों के तहत चलने वाले करीब ढाई हजार डाकबंगलों का युक्तिकरण भी जरूरी है या इन्हें भी आय-व्यय के ढांचे में निजी क्षेत्र के साथ बांट लेना चाहिए। हर विभाग का रेस्ट हाउस क्यों। क्यों न एक ही शहर में उसके प्रशासनिक व अन्य महत्त्व के आधार पर पच्चीस, पचास या सौ कमरों का एक ही परिसर बना कर सभी विभागों को एक साथ रेस्ट हाउस सुविधा दी जाए।

editor@rokthoklekhani.com
+91 9987775650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK
LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE
SHARE
COMMENT
SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

मुंबई: 2.5 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं बरामद;

इंजीनियर समेत दो आरोपी गिरफ्तार...

मुंबई: मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शहर में सक्रिय दो अलग-अलग ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई में कुल 2.5 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं बरामद की गई हैं, जिसमें एमडी, चरस और हेरोइन शामिल हैं। मुंबई पुलिस ने एक इंजीनियर समेत दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।

फ्लैट से ही बेचता था ड्रग्स

मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल की आजाद मैदान यूनिट ने अभियान चलाते हुए अंधेरी के लोखंडवाला में रहने वाले एक इंजीनियर एस खान को गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खान अपने फ्लैट से ड्रग्स बेचता है। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें उसके घर से 1.25 करोड़ रुपये की एमडी, ड्रग्स और चरस के साथ 18 लाख रुपये भी बरामद किए गए। जांच में यह सामने आया कि एस. खान पिछले चार वर्षों से अपने फ्लैट को ड्रग्स की तस्करी का अड्डा बनाए हुए था। एंटी नारकोटिक्स सेल अब यह पता लगाने में जुटी है कि खान यह नशीले ड्रग्स कहां से मंगवाता था, उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

आरोपी इंटरस्टेट ड्रग नेटवर्क से जुड़ा है

एंटी नारकोटिक्स स००ेल की कांदिवली यूनिट ने एक और अभियान में अंधेरी के वसोर्वा जेट्टी इलाके में जाल बिछाकर फैजान इरफान गौड़ को गिरफ्तार किया। गौड़ के पास से पुलिस ने 306 ग्राम हेरोइन बरामद किया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.22 करोड़ रुपये मानी जा रही है। पुलिस ने गौड़ के मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है और उसकी कॉल डिटेल्स व सोशल मीडिया चैट्स की जांच की जा रही है। शुरूआती जांच में यह संकेत मिले हैं कि आरोपी एक इंटरस्टेट ड्रग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। पुलिस अब इस नेटवर्क के मेन सप्लायर तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है।

पिछले महीने पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया था गिरफ्तार

इससे पहले, 20 जून को मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल की घाटकोपर यूनिट ने तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया था। तस्करों के कब्जे से 1.18 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 2.03 करोड़ रुपए से अधिक मानी गई। मुंबई पुलिस की ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह की गतिविधियों की सूचना तुरंत दें ताकि शहर को सुरक्षित बनाया जा सके।

मुंबई : मिट्टी की अवैध खुदाई; हीरानंदानी डेवलपर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज...

मुंबई : पवई पुलिस ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम के तहत हीरानंदानी डेवलपर्स के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की। डेवलपर्स ने कथित तौर पर संबंधित प्राधिकरण की अनुमति के बिना, पवई में हीरानंदानी हेलीपैड से सटे पहाड़ी इलाके में एक सड़क पर लगभग 300 मीटर लंबाई, 4 से 5 मीटर चौड़ाई और 1 से 2 मीटर गहराई तक मिट्टी की अवैध खुदाई की। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने रियल एस्टेट क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी के खिलाफ महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम की धारा 52 (भूमि का अनधिकृत विकास या उपयोग) और धारा 43 (अनुमति के बिना विकास और भूमि उपयोग परिवर्तन पर प्रतिबंध) के तहत मामला दर्ज किया।

हालाँकि, कंपनी के प्रवक्ता ने किसी भी अवैध गतिविधि से इनकार किया। सूत्रों के अनुसार, एक पत्रकार ने इस मामले को लेकर घाटकोपर पुलिस से संपर्क किया। घाटकोपर पुलिस ने बीएमसी कार्यालय को सूचित किया, जिसके बाद बीएमसी ने कार्रवाई की। एफआईआर के अनुसार, 3 जुलाई, 2025 को एल वार्ड (बीएमसी) को पवई (चांदीवली) के पहाड़ी इलाके में अवैध खुदाई की शिकायत मिली थी।

इसके बाद, बीएमसी के दो जूनियर इंजीनियरों ने उसी दिन दोपहर 1.15 से 1.30 बजे के बीच घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने पाया कि हेलीपैड के पास, बिना किसी अनुमति के लगभग 300 मीटर लंबाई, 4 से 5 मीटर चौड़ाई और 1 से 2 मीटर गहराई में अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई की गई थी।

मुंबई : 14 जुलाई को महाराष्ट्र भर के 20,000 से ज्यादा बार संचालन बंद...!

मुंबई : हाल तक राज्य सरकार ड्राई डे घोषित करती थी। अब पूरे महाराष्ट्र के बार मालिकों ने 14 जुलाई को ड्राई डे घोषित कर दिया है। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन द्वारा आहूत राज्यव्यापी बंद के तहत, एक समन्वित कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र भर के 20,000 से ज्यादा बार 14 जुलाई को अपना संचालन बंद रखेंगे। यह बंद महाराष्ट्र सरकार द्वारा आतिथ्य क्षेत्र पर ''लगातार और अन्यायपूर्ण'' कर वृद्धि के विरोध में है, जिसके बारे में होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि इससे ₹1.5 लाख करोड़ का यह उद्योग पतन के कगार पर पहुँच गया है। यह कदम उद्योग द्वारा बार-बार की गई अपीलों पर कोई ध्यान न दिए जाने के बाद उठाया गया है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन को यह चरम कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसे वह अस्तित्व की लड़ाई बता रहा है।

होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन शराब पर वैट को 5% से बढ़ाकर 10% करने, वार्षिक लाइसेंस शुल्क में 15% की वृद्धि और एक वर्ष के अंतराल में उत्पाद शुल्क में 60% की वृद्धि का विरोध कर रहा है। यह बंद, होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन द्वारा ''ट्रिपल टैक्स सुनामी'' कहे जाने के बाद एक प्रतिक्रिया है, जिसने एक साल से भी कम समय में उद्योग को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र का पूरा आतिथ्य क्षेत्र संकट में है। हमारी अपील अनसुनी कर दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी ने कहा, ''14 जुलाई को राज्य के हर बार और परमिट रूम विरोध स्वरूप बंद रहेंगे।'' उन्होंने आगे कहा कि मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर और कोंकण के सदस्यों ने पूर्ण भागीदारी की पुष्टि की है।

मुंबई: 18 जुलाई को मीरा रोड दौरे पर जाएंगे राज ठाकरे...

मुंबई: पूरे महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से मीरा-भायंदर शहर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पीछे की वजह भी यही है। महाराष्ट्र खासकर मुंबई में मराठी और अमराठी के बीच विवाद छिड़ गया है। मीरा रोड के एक व्यापारी की मनसे कार्यकताओं ने मराठी के मुद्दे पर पिटाई कर दी। मनसे का कहना है कि महाराष्ट्र में रहने और व्यापार करने के लिए मराठी बोलना अनिवार्य है। कुछ अमराठी लोगों ने मनसे के इस रुख पर आपत्ति जताई। एक व्यापारी ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को सीधे तौर पर चुनौती दी थी कि वह मराठी नहीं बोलेंगे। इस पर बड़ा विवाद छिड़ने के बाद इस व्यापारी ने सार्वजनिक रूप से राज ठाकरे से माफी मांगी थी। दूसरी ओर मीरा भायंदर में बड़ा हंगामा देखने को मिला। इसके बाद अब खबर आ रही है कि राज ठाकरे खुद मीरा रोड के दौरे पर जाएंगे। इस दौरे के दौरान राज ठाकरे किन लोगों से मिलेंगे? क्या

वे लोगों को संबोधित करेंगे? राज ठाकरे के मन में आखिर क्या है? इस मौके पर कई सवाल उठ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज ठाकरे 18 जुलाई को मीरा रोड आएंगे।

मीरा रोड क्यों सुर्खियों में ?

मीरा भायंदर में मनसे कार्यकताओं की ओर से एक व्यापारी की पिटाई के बाद वहां के व्यापारियों ने इस घटना पर आपत्ति जताई। मीरा रोड के व्यापारियों ने संबंधित व्यापारी के समर्थन में शहर बंद का आ''ान किया। इतना ही नहीं व्यापारियों ने शहर में एक बड़ा मार्च भी निकाला। इस मार्च ने हिंदी और मराठी भाषियों के बीच बहस को फिर से सुलगा दिया। इस मार्च के जवाब में मनसे और शिवसेना ठाकरे गुट और महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से एक संयुक्त मार्च निकालने का निर्णय लिया गया था। लेकिन पुलिस ने इस मार्च को रोक दिया। दरअलस संभावित खतरे को देखते हुए पुलिस ने मनसे पदाधिकारियों और कार्यकताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया।

आखिरकार, मनसे, ठाकरे गुट और महाराष्ट्र एकीकरण समिति इस मामले को लेकर काफी आक्रामक हो गए। कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इसलिए, बड़े नाटकीय घटनाक्रम के बाद, मनसे के मार्च की अनुमति दे दी गई। यह मार्च 8 जुलाई को होना था। इस मार्च के बाद मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने रात में अपने पार्टी नेताओं को एक अहम आदेश ट्वीट किया। राज ठाकरे ने आदेश दिया कि वे उनकी अनुमति के बिना मीडिया से बात न करें और न ही सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी करें।

मुंबई : होम्योपैथी डॉक्टरों को आधुनिक दवाइयां लिखने की अनुमति नही... सरकार फैसले से पीछे हट गई

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने होम्योपैथी डॉक्टरों को आधुनिक दवाइयां लिखने की अनुमति देने का निर्णय लिया था। अब सरकार इस फैसले से पीछे हट गई है। सरकार ने एक 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी दो महीने में इस मामले पर फैसला करेगी। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में न तो होम्योपैथी डॉक्टरों और न ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने कहा है कि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो वे कमेटी का निर्णय मानेंगे। दोनों ही पक्ष कमेटी के फैसले से सहमत नहीं हैं। कमेटी में चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष निदेशालय, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही आधुनिक चिकित्सा और होम्योपैथी परिषदों के रजिस्ट्रार भी कमेटी में होंगे।

बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित संशोधन

IMA (महाराष्ट्र) के प्रमुख संतोष कदम ने कहा कि यह मामला समस्या की जड़ को चुनौती देता है। उन्होंने 2014 में महाराष्ट्र होमियोपैथिक प्रैक्टिशनर्स एक्ट और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एक्ट 1965 में हुए संशोधन पर सवाल उठाया। ये संशोधन अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित हैं। कदम ने कहा कि कमेटी इस विषय पर विचार कर सकती है, लेकिन अगर उनका फैसला जनहित के खिलाफ होगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे लिए अदालत का फैसला ही अंतिम होगा। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

क्या बोला होम्योपैथिक काउंसिल

महाराष्ट्र होम्योपैथिक काउंसिल के प्रशासक बाहुबली शाह ने कहा कि कमेटी पर कोई भरोसा नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कमेटी में एक क्लर्क को रख दिया है। शाह का कहना है कि कमेटी में होम्योपैथी के जानकार होने चाहिए थे। पिछले 10 दिनों से मेडिकल समुदाय में इस बात को लेकर चिंता थी कि होम्योपैथी डॉक्टरों को एक साल के फामाकोलॉजी कोर्स के आधार पर आधुनिक दवाइयां लिखने की अनुमति दी जा रही है। लोगों को डर था कि इससे लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है।

12/13 जुलाई, 2025 की मध्य रात्रि को सांताक्रूज और गोरेगांव स्टेशनों के बीच जंबो ब्लॉक...

मुंबई : 12/13 जुलाई, 2025 की मध्य रात्रि को सांताक्रूज और गोरेगांव के बीच पश्चिम रेलवे का रात्रिकालीन ब्लॉक। पटरियों, सिग्नलिंग और ओवरहेड उपकरणों के रखरखाव कार्य हेतु, शनिवार/रविवार, यानी 12/13 जुलाई, 2025 की मध्य रात्रि को सांताक्रूज और गोरेगांव स्टेशनों के बीच अप फास्ट और पाँचवीं लाइन पर 00.30 बजे से 04.00 बजे तक 03:30 बजे का जंबो ब्लॉक लिया जाएगा।

नालासोपारा : डेढ़ महीने की बच्ची को प्लास्टिक के बोरे में बंद करके सड़क के किनारे फेंक दिया

मुंबई : नालासोपारा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक डेढ़ महीने की बच्ची को प्लास्टिक के बोरे में बंद करके सड़क के किनारे फेंक दिया गया। यह घटना तब सामने आई जब अवधेश चव्हाण नामक एक युवक ने नाले के पास शौच के लिए जाते समय बोरे से रोने की आवाज सुनी। उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित निकाला और नगर निगम अस्पताल में भर्ती कराया।

किसने बच्ची को फेंका

डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की हालत स्थिर है और उसे गंभीर चोटें नहीं आई हैं। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है, जिसमें इलाके के उउळश फुटेज की जांच की जा रही है ताकि बच्ची को फेंकने वाले व्यक्ति का पता लगाया जा सके। पुलिस बच्ची के जन्म और उससे जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रही है। इस घटना ने स्थानीय लोगों को गहरे दुख और गुस्से में डाल दिया है, और वे सरकार और पुलिस से मांग कर रहे हैं कि इस अमानवीय कृत्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाए। उनका मानना है कि बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

मुंबई: दो नाबालिग लड़कों को कर्ज नहीं चुका पाने पर कार में ओरल सेक्स के लिए विवश किया गया

मुंबई: महाराष्ट्र में दो नाबालिग लड़कों को कर्ज नहीं चुका पाने पर आपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। उन्हें कार में ओरल सेक्स (मुख मैथुन) के लिए विवश किया गया। इतना ही नहीं इस शर्मनाक कृत्य का आरोपियों ने वीडियो भी बनाया। पीड़ित लड़के परभणी के रहने वाले हैं। पीड़ित लड़कों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उनका शारीरिक और मानसिक इलाज चल रहा है। नाबालिग लड़के की मां की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। इनमें अप्राकृतिक यौन संबंध, अपहरण, मारपीट और गलत तरीके से बंधक बनाने जैसे आरोप शामिल हैं। पुलिस ने POCSO एक्ट भी लगाया है।

कार में दोनों को बनाया बंधक

जानकारी के अनुसार कम उम्र के दो लड़कों ने एक व्यक्ति से कुछ रुपये उधार लिए थे। जब लड़के रुपये नहीं लौटा पाए तो कर्ज देने वाले शख्स ने उन्हें एक कार में बंधक बना लिया। चलती कार में उन्हें पहले नंगा किया फिर दोनों किशोरों को आपस में ओरल सेक्स के मजबूर किया गया। आरोपियों ने ओरल सेक्स का वीडियो भी बनाया। जानकारी के अनुसार जिन दो लड़कों को इस अपमानजनक घटन का शिकार होना पड़ा। उनमें एक की उम्र 19 साल है। एक नाबालिग है। पुलिस ने इस मामले में पुलिस ने गौतम दिलीप गोस्वामी उर्फ ऋतिक (25) नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गौतम पर ही लड़कों को कर्ज देने का आरोप है। पुलिस के अनुसार अन्य आरोपियों की पहचान पंजूभाई गोस्वामी और अन्य दो की पहचान देराज और भरत के रूप में हुई है। उनकी तलाश जारी है।

ब्लैकमेल करने की धमकी दी

नाबालिग लड़के की मां ने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें मां ने बताया है कि गौतम गोस्वामी ने उनके बेटे और उसके दोस्त को बहला-फुसलाकर ले गए थे।आरोपियों ने गंदे कृत्य के बाद धमकी दी कि अगर उन्होंने उधार लिए पैसे नहीं चुकाए तो वीडियो ऑनलाइन डाल दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लड़कों को पुणे भी ले गए। वहां उन्हें एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया।

मुंबई : रक्तदान शिविरों में प्रति शिविर 500 यूनिट रक्तदान की सीमा तय...

मुंबई : अत्यधिक रक्त संग्रहण और रक्त के संभावित दुरुपयोग या बबार्दी को रोकने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने रक्तदान शिविरों में प्रति शिविर 500 यूनिट रक्तदान की सीमा तय कर दी है। यह निर्देश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में राज्य रक्त आधान परिषद (एसबीटीसी) की समीक्षा बैठक के दौरान जारी किया गया। यह कदम एसबीटीसी की 12 जून, 2025 को हुई समीक्षा बैठक के बाद उठाया गया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ प्रमुख निर्देश जारी किए थे। इन निदेर्शों के आधार पर, परिषद ने एक परिपत्र जारी कर प्रति शिविर 500 यूनिट रक्तदान की सीमा

को औपचारिक रूप दिया और सख्त नियामक निगरानी शुरू की।

रक्तदान शिविरों के लिए अब अधिकतम 500 यूनिट की सीमा तयएसबीटीसी ने प्रति शिविर 500 यूनिट रक्तदान की सीमा लागू करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है और संबंधित जिला रक्त आधान अधिकारी से पूर्व ऑनलाइन अनुमोदन लेना अनिवार्य कर दिया है। यदि तीन दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो अनुमति को स्वीकृत माना जाएगा।''

इसके अलावा, परिषद ने रक्तदाताओं को महंगे उपहार–जैसे हेडफोन, स्मार्टवॉच और अन्य उच्च-मूल्य वाली वस्तुएँ–देने के बढ़ते चलन पर भी चिंता जताई है। इस प्रथा को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का उल्लंघन माना गया है और अब इस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले आयोजकों पर नियामक कार्रवाई हो सकती है।

मुंबईः राज्यभर के धार्मिक स्थलों से 3367 लाउडस्पीकर हटाए गए

मुंबईः मुंबई के साथ-साथ राज्यभर के धार्मिक स्थलों से 3367 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। मुंबई को लाउडस्पीकर मुक्त कर दिया गया है। ऐसा दावा शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में की है। सदन में उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मुंबई में 1150 मस्जिदों, 48 मंदिरों, 10 चर्च, 4 गुरुद्वारा और अन्य 148 जगहों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। लाउडस्पीकर के बाबत एसओपी में बदलाव किए जाएंगे। इस अनुसार जिस पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लाउडस्पीकर लगेंगे तो उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज जवाबदार होगा।

विधानसभा में बीजेपी के विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर पर सरकार का ध्यान खींचा। विधायक आदित्य ठाकरे, भास्कर जाधव, देवयानी फरादे, जितेंद्र आव्हाड, विश्वजीत कदम, सना मलिक सहित अन्य लोगों ने चर्चा में भाग लिया। विधायकों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री

फडणवीस ने सदन में जवाब दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका के संदर्भ में लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर कानूनी रूप से क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइन जारी की है। इस अनुसार पुलिस महासंचालक ने एक एसओपी तैयार की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई पुलिस ने धार्मिक स्थल के लाउडस्पीकर आपसी सामंजस्य से हटाए हैं। इस दौरान कोई धार्मिक तनाव या एफआईआर नहीं हुई। मुंबई पुलिस ने लाउडस्पीकर हटाने में अच्छा काम किया।

15-20 साल से कानून है

विधानसभा में विधायकों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि रात 10 के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजाए जा सकते यह कानून 15-20 साल से लागू है। कुछ विशेष दिनों के लिए अदालत ने छूट प्रदान की है। गणपति उत्सव में 4 दिन, नवरात्रि, डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर की अनुमति है। गुजरात में साउंड प्रूफ पंडाल तैयार किए गए हैं, इससे वहां नवरात्रि में छूट मिलती है। मुंबई में भी बड़े-बड़े हॉल में नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है।

मुंबईः AC वायरिंग के करंट से 10वीं के छात्र की मौत, CCTV में कैद हुई घटना, बैडमिंटन खेलते समय हुआ हादसा

मुंबई : मुंबई से सटे नायगांव में एसी वायरिंग के करंट से दसवीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। यह हादसा बैडमिंटन खेलते समय हुआ। मृतक छात्र सोसायटी के अंदर अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। इस बीच उनकी शटलकॉक पहली मंजिल पर बने घर की खिड़की में फंस गई। छात्र शटलकॉक निकालने के लिए खिड़की पर चढ़ा। इसी बीच उसे करंट लग गया और वह खिड़की से चिपक गया। छात्र के एक दोस्त ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन करंट के झटके से दोनों दूर गिर गए। इसके बाद बीका लड़के भी आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

घटना मुंबई से सटे नायगांव के एक कॉम्प्लेक्स की है। शुक्रवार की शाम कुछ बच्चे सोसाइटी के अंदर बैडमिंटन खेल रहे थे। 15 साल का 10वीं कक्षा का छात्र आकाश संतोष साहू भी दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसी बीच शटल निकालने के चक्कर में उसकी मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी समने आया है।

पुलिस ने शुरू की जांच

ऐसा बताया जा रहा है कि 10वीं का छात्र आकाश शाम करीब 7 बजे सोसाइटी कंपाउंड में अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। इस दौरान शटलकॉक पहली मंजिल पर स्थित एक फ्लैट की खिड़की में फंस गई। जब वह शटल खींचने के लिए ऊपर गया, तो खिड़की से एसी करंट का जोरदार झटका आकाश को लगा और वह वहीं गिर गया। पूरी घटना सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसी से निकलने वाला करंट इतना तेज कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच की जा रही है।

सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि करंट लगने के बाद आकाश बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसके चार दोस्त भागकर पास आते हैं और पानी की बोतल भी लाते हैं। हालांकि, पानी डालने और बहुत हिलाने-डुलाने पर भी जब आकाश को होश नहीं आता है तो उसके दोस्त उसे उठाकर ले जाते हैं।

टिंडर पर दोस्ती का झांसा, प्यार के नाम पर मचाई लूट,

पुलिस ने गिरोह का किया भंडाफोड़

मुंबई : मुंबई में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ''टिंडर'' पर दोस्ती कर लूटने वाले गिरोह का मीरा भायंदर पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने भंडाफोड़ किया. आज के समय में साइबर अपराध दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं. लेकिन साइबर फ्रॉड के बीच टिंडर ऐप, जो कि एक डेटिंग ऐप है, पर प्यार की तलाश करने वाले लोगों को पहले प्यार के झांसे में फंसाकर लूटने वाले ग्रुप का मीरा भायंदर-वसई-विरार पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने भंडाफोड़ किया है.

महिला के नाम से टिंडर पर अकाउंट बनाया

इस रैकेट में शामिल और प्यार का झांसा देकर लोगों को फंसाने वाले आरोपी सागर रावल (26), ऋषभ शिंदे (25), पाजी, सोनू शेख और एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मीरा भायंदर में रहने वाले एक व्यक्ति की टिंडर ऐप पर एक लड़की से जान-पहचान हुई. सागर रावल ने महिला के नाम से टिंडर पर अकाउंट बनाया और उसी अकाउंट से वह पीड़ित शिकायतकर्ता से बातचीत करने लगा. एक दिन चैटिंग के दौरान युवक को एक कॉफी शॉप में कॉफी पीने के लिए बुलाया गया, जहां शिकायतकर्ता की मुलाकात उस महिला से हुई.

वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी

इसी समय महिला ने शिकायतकर्ता से कहा कि उसके घर पर कोई नहीं है और वह बहुत अच्छा मसाज करती है. महिला की बातों में आकर शिकायतकर्ता उसके घर चला गया. कमरे के अंदर जाते ही महिला ने पीड़ित युवक को कपड़े उतारने के लिए कहा. कपड़े उतारते ही अन्य 4 आरोपी कमरे के अंदर आ गए और शिकायतकर्ता को धमकी देने लगे कि अगर उसने 10 लाख रुपए नहीं दिए तो उसका वीडियो सार्वजनिक कर देंगे. आरोपी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने शिकायतकर्ता को उस कमरे में बंधक रखा और उसे काफी देर तक मारते-पीटते रहे. साथ ही उसके गले में जो सोने की चेन थी, वह भी उसे बेचने के लिए मजबूर किया. इस चेन को बेचकर साढ़े तीन लाख रुपए इस गिरोह ने ले लिए. इस घटना के बाद शिकायतकर्ता पुलिस में शिकायत करने पहुंचा. शिकायत के बाद एंटी एक्सटॉर्शन सेल भी इसकी छानबीन में लग गई.

मुंबई : विधान परिषद सदस्य गोपीचंद पडलकर पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग

मुंबई : विधान परिषद सदस्य गोपीचंद पडलकर द्वारा अपने पादरियों को दी गई हालिया धमकियों के विरोध में सैकड़ों ईसाई आजाद मैदान में एकत्रित हुए। पडलकर ने कथित तौर पर धर्मांतरण में शामिल किसी भी ईसाई मिशनरी की हत्या करने वाले को 11 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी। उन्होंने 17 जून को सांगली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की। ईसाई समुदाय के सदस्यों ने कहा कि विधान पार्षद का बयान परेशान करने वाला है। एसोसिएशन ऑफ कंसर्न्ड क्रिश्चियन्स के सचिव मेल्विन फर्नांडीस ने कहा, ''यह हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के मूल ढांचे पर सीधा हमला है।

यह चौंकाने वाला और निराशाजनक है कि हमारे निर्वाचित नेता इस तरह की खतरनाक बयानबाजी पर ध्यान देने में विफल रहे हैं, जिससे ईसाइयों को अपने ही देश में कमजोर और अलग-थलग किया जा रहा है।'' सांसद वर्षा गायकवाड़ ने बैठक को संबोधित किया, जिसमें विभिन्न ईसाई संप्रदायों के प्रतिभागी शामिल थे। प्रतिभागियों ने पडलकर को विधान परिषद से निलंबित करने और उनके खिलाफ अभद्र भाषा, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और जान से मारने की धमकी देने का आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की।

मुंबई : बड़ा ड्रग भंडाफोड़; 76 लाख रुपये मूल्य की 307 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) बरामद

मुंबई : क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने नागपाड़ा इलाके में एक बड़ा ड्रग भंडाफोड़ किया, जिसमें 76 लाख रुपये मूल्य की 307 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) बरामद की गई। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एएनसी अधिकारियों के अनुसार, बांद्रा यूनिट को 10 जुलाई को एक सूचना मिली कि एक युवक एमडी ड्रग्स बेचने के लिए नागपाड़ा के एमएस अली रोड पर आ रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए, एक टीम ने इलाके में जाल बिछाया और संदेह के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। उसकी तलाशी लेने पर, अधिकारियों को उसके कब्जे से 307 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ मिला।

आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर नागपाड़ा इलाके में ड्रग्स की आपूर्ति करना कबूल किया। एएनसी अधिकारियों ने कहा कि नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और ऑपरेशन के पीछे व्यापक आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

संपर्क कार्यालय : रोहिरा हाउस फ्लैट नो 8 दूसरा माला पाकीजा बेकरी के सामने कैडल रोड माहिम पश्चिम मुंबई ४०००१६
मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com
www.rokthoklekaninews.com facebook@rokthoklekhani youtube@rokthoklekhani twitter@rokthoklekhani